राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 2688/2025

थान सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्टार जरिये राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
4. तहसीलदार, नंदबाई, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2025
आदेश की दिनांक : 23.05.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी अपने कनिष्ठ व्यक्तियों को वेतन वृद्धि का लाभ न देने के लिए प्रतिवादियों की कार्रवाई को चुनौती दे रहा है, क्योंकि अपीलार्थी को अपने कनिष्ठों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है और प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलर्थी के दिनांक 9.9.2024 के अभ्यावेदन पर भी विचार नहीं किया, यहां तक कि राजस्व बोर्ड के साथ–साथ जिला कलेक्टर ने भी अपीलार्थी के मामले पर विचार करने की सिफारिश की थी ताकि लाभ में वृद्धि की जा सके। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को पटवारी के पद पर 29.10.1999 (अनुलग्नक–2) के आदेश के तहत नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी ने दिनांक 4.11.1999 को कार्यभार ग्रहण किया था। तत्पश्चात अपीलार्थी को चयन वेतनमान का लाभ दिया गया तथा वर्ष 2018 में निरीक्षक भू–अभिलेख के पद पर पदोन्नत भी किया गया तथा तब से अपीलार्थी आई.एल.आर. के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 4.11.2008 से प्रथम चयन वेतनमान का लाभ दिया गया तथा अपीलार्थी को दिनांक 4.11.2008 को 7300+1900 = 9200 वेतनमान में पदस्थ किया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को दिनांक 4.11.2008 को 9200/– रूपये का वेतन निर्धारित किया गया था, लेकिन अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को वर्ष 2008 में 12,500/– रूपये का लाभ दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी को तब से अपने कनिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2008 में ही अपना वेतन शुरू कर दिया था और 2008 से उन्हें 3300 रुपये कम वेतन मिल रहा था, जिसके

परिणामस्वरूप उन्हें दिन–प्रतिदिन घाटा हो रहा है। अपीलार्थी ने दिनांक 13.10.2023 को प्रारंभिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा अपने कनिष्ठ व्यक्तियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने तथा अपीलार्थी का वेतन उसके कनिष्ठ व्यक्तियों के बराबर निर्धारित करने तथा संशोधित करने का अनुरोध किया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर राजस्व मण्डल ने कलेक्टर भरतपुर सहित सभी जिला कलेक्टरों को अपीलार्थी को वेतन वृद्धि का लाभ देने के संबंध में पत्र जारी किया तथा ऐसे लाभ देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। (अनुलग्नक–5) जिला कलेक्टर भरतपुर ने पत्र दिनांक 27.8.2024 के अनुसरण में तहसीलदार को भी पत्र लिखकर अपीलार्थी को वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है तथा पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को 2008 से उसके कनिष्ठों के बराबर वेतन का लाभ सभी परिणामी लाभों के साथ प्रदान किया जावे एवं अपीलार्थी को 2008 से वेतन वृद्धि का लाभ देने के बाद, अपीलार्थी के वेतन और वेतन को 2008 से सभी बकाया और उस पर ब्याज सहित संशोधित किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 30 दिवस की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष